न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : ओ.पी. बुनकर, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 03/2020 (अपील नामा.)
GCMS NO : 2020/00016

अनवान

1. श्रीमती आशा देवी पत्नि मोहनलाल मीणा, निवासी बंजारिया, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर।

—अपीलान्ट

बनाम

1. श्री टोड़रमल पिता स्व. श्री कडुवा मीणा, निवासी बड़ला, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर।
2. श्री सुरजमल पिता स्व. श्री कडुवा मीणा, निवासी बड़ला, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर।
3. श्री चांदमल पिता स्व. श्री कडुवा मीणा, निवासी बड़ला, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर।
4. श्री किरोड़ीमल पिता स्व. श्री कडुवा मीणा, निवासी बड़ला, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर।
5. श्री जीवाराम पिता स्व. श्री हकरा मीणा, निवासी बंजारिया, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर
6. सरकार जरिये तहसीलदार खेरवाड़ा, जिला उदयपुर

— रेस्पोडेन्ट्स

प्रकरण स. : 01/2021 (अपील नामा.)
GCMS NO : 2021/00005

अनवान

1. श्रीमती मेवा देवी पत्नि सुन्दरलाल मीणा, निवासी बंजारिया, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर।

—अपीलान्ट

बनाम

1. श्री टोड़रमल पिता स्व. श्री कडुवा मीणा, निवासी बड़ला, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर।
2. श्री सुरजमल पिता स्व. श्री कडुवा मीणा, निवासी बड़ला, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2021.10.05 11:45:33 IST
Reason: SelfAttested

3. श्री चांदमल पिता स्व. श्री कडुवा मीणा, निवासी बड़ला, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर।
4. श्री किरोड़ीमल पिता स्व. श्री कडुवा मीणा, निवासी बड़ला, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर।
5. श्री जीवाराम पिता स्व. श्री हकरा मीणा, निवासी बंजारिया, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर
6. सरकार जरिये तहसीलदार खेरवाड़ा, जिला उदयपुर

– रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित

1. श्री सत्यप्रकाश, अधिवक्ता अपीलान्ट (प्रकरण संख्या 03/2020 एवं 01/2021)
2. श्री लोकेश मेनारिया, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 (प्रकरण संख्या 03/2020)
3. श्री संजय बोहरा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 (प्रकरण संख्या 01/2021)
4. श्री कल्पित जैन, राजकीय अधिवक्ता

अपील अंतर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956
अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 1532 न्यायालय तहसीलदार खेरवाड़ा,
आदेश दिनांक 11.06.2020

*** निर्णय ***

दिनांक– 10-09-2021

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलान्टस ने इस न्यायालय में अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 1532, तहसीलदार खेरवाड़ा दिनांक 11.06.2020 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 5 के पिता द्वारा एक वाद वास्ते घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 के पिता के विरूद्ध सन् 1999 मे माननीय उपखण्ड़ अधिकारी खेरवाड़ा मे प्रस्तुत किया था। रेस्पोडेन्ट संख्या 5 के पिता ने अपने वाद की कलम संख्या 1, 2, 3 मे अंकित विभिन्न आराजीयात पर अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही। यह वाद सन् 2002 मे एकपक्षीय डिक्री पारित हुआ, जिसे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 के पिता ने एकपक्षीय डिक्री निरस्त करा पुनः उपखण्ड अधिकारी खेरवाड़ा मे प्रकरण दर्ज कर सुनवाई की गई। दौराने वाद कालान्तर मे रेस्पोडेन्ट संख्या 5 के पिता ने दिनांक 22.06.2011 को आराजी संख्या 3094/1801 क्षेत्रफल 0.0300 हक्टेयर का अपीलान्ट मेवादेवी के पक्ष मे एवं दिनांक 25.06.2014 को आराजी संख्या 1800 क्षेत्रफल 0.0300 हेक्टेयर का अपीलान्ट श्रीमती आशा देवी पत्नी मोहनलाल मीणा को पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा निष्पादित कर कब्जा कर सुपुर्द कर विक्रय कर दिया। अपीलान्ट श्रीमती मेवा देवी एवं आशा देवी ने क्रयशुदा कथित आराजीयात का क्रमशः दिनांक 15.03.2012 एवं 24.07.2014 को तहसीलदार खेरवाड़ा से

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2021.10.05 10:45:33 IST
Reason: SelfAttested

आवासीय संपरिवर्तन करवाया, जिसका नामान्तरकरण खोला जाकर भूमि की किस्म राजस्व अभिलेख मे आवासीय दर्ज की गई एवं तदुपरान्त ग्राम पंचायत बंजारिया से विधिवत निर्माण की स्वीकृति अपीलान्टस द्वारा क्रमशः दिनांक 05.10.2012 एवं 22.03.2016 को प्राप्त की तथा तब से अपीलान्टस कथित आराजीयात पर मकान बनाकर परिवार सहित निवास कर रही है। अपीलान्टस मेवा देवी एवं आशा देवी द्वारा इस मकान बाबत् बैक से ऋण लेने का प्रयास किया गया तब वादग्रस्त भूमि क्रमशः आराजी संख्या 3094/1801 एवं 1800 रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 के नाम राजस्व रेकर्ड मे अंकित होने की जानकारी प्राप्त हुई। प्रकरण से संबधित जानकारी प्राप्त होने पर यह ध्यान मे आया कि तहसीलदार खेरवाड़ा द्वारा उपखण्ड अधिकारी खेरवाड़ा के निर्णय एवं डिक्री का निर्वचन सही न करने से त्रुटिपूर्ण नामान्तरकरण संख्या 1532 दिनांक 11.06.2020 पारित किया गया है, जो आराजी संख्या 3094/1801 एवं 1800 के हद तक निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्टस श्रीमती मेवा देवी एवं आशा देवी द्वारा कराये गये आवासीय संपरिवर्तन का क्रमशः विधिवत नामान्तरकरण संख्या 911 दिनांक 28.03.2012 एवं 1112 दिनांक 14.08.2014 खोला गया है, जो आज भी प्रभावी है। ऐसी स्थिति मे तहसीलदार खेरवाड़ा द्वारा खोला गया नामान्तरकरण संख्या 1532 प्रारंभ से ही शून्य है। माननीय उपखण्ड अधिकारी खेरवाड़ा के निर्णय एवं डिक्री का मूल आधार राजीनामा है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 एवं 5 के खाते मे राजीनामे के आधार पर जो भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 5 को मिलनी चाहिए थी, वह उसे मिल चुकी है एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 5 द्वारा जो आराजी राजनामे के आधार पर छोड़ी गई वह आराजीयात रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 को मिली, लेकिन राजीनामे की यह शर्त भी थी कि जो आराजीयात दौराने स्टे वादी द्वारा बेची गई उस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 क्लेम नही कर रहे है, वह आराजी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 की नही है। इस राजीनामे के विपरीत जाकर अन्य अराजीयात के साथ अराजी संख्या 3094/1801 एवं 1800 भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 के नाम संवहन से अंकित कर दी गई, जिससे अपीलान्टस के हक एवं अधिकारों पर बुरा असर पड़ रहा हैं। अपीलान्टस न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी खेरवाड़ा द्वारा पारित किये गये निर्णय एवं डिक्री से खोले गये नामान्तरकरण से पीड़ित है। कथित आराजी राजीनामे के आधार पर अपीलान्टस की ही हैं। इसी वजह से आज भी अपीलान्टस का ही कथित आराजी पर कब्जा है। अपीलान्टस को अधिनस्थ न्यायालय ने पक्षकार के रूप मे संयोजित नहीं किया हैं। इसी कारण अपीलान्टस अधिनस्थ न्यायालय मे अपनी ओर से कार्यवाही मे भाग नहीं ले पायी एवं अपने हितो की रक्षा नहीं कर सकी। अतः अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 1532 दिनांक 11.06.2020 को निरस्त किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Bunkar
Date: 2021.10.05 11:45:33 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट्स को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये जाकर अपना पक्ष/प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने हेतु समय दिया गया। प्रकरण मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 की ओर से श्री लोकेश मेनारिया एवं श्री सजय बोहरा अधिवक्ता द्वारा वकालात पत्र पेश किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 5 की ओर से श्री प्रकाश पालीवाल अधिवक्ता द्वारा वकालात पत्र प्रस्तुत किया गया एवं सरकार की ओर से श्री कल्पित जैन, राजकीय अधिवक्ता द्वारा उपस्थिति दी गई। प्रकरण संख्या 01/2021 मे विपक्षी संख्या 1 से 4 के अधिवक्ता द्वारा धारा 5 मयाद अधिनियम, आदेश 41 नियम 27 जा.दी., धारा 96 पर जवाब प्रस्तुत किया। प्रकरण मे उभय पक्ष की सुनवाई हेतु तिथि नियत की गई।

बहस हेतु निर्धारित तिथि को अपीलान्ट्स अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 के अधिवक्ता व राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 5 की ओर से कोई उपस्थित नही रहा। उभय पक्ष द्वारा प्रकरण मे सीधे मूल अपील पर बहस हेतु अनुरोध किया, जिसे स्वीकार किया जाकर प्रकरण मे मूल अपील पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

बहस प्रारंभ करते हुए अपीलान्टस अधिवक्ता ने अपील मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 5 के पिता द्वारा एक वाद वास्ते घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 के पिता के विरूद्ध सन् 1999 मे उपखण्ड़ अधिकारी खेरवाड़ा मे प्रस्तुत करना, रेस्पोडेन्ट संख्या 5 द्वारा अपने वाद की कलम संख्या 1 ,2, 3 मे अंकित विभिन्न आराजीयात पर अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही जाना, वाद सन् 2002 मे एकपक्षीय डिक्री होना, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 के पिता द्वारा एक पक्षीय डिक्री निरस्त करा पुनः उपखण्ड अधिकारी खेरवाड़ा मे प्रकरण दर्ज कर सुनवाई कराई जाना, दौराने वाद रेस्पोडेन्ट संख्या 5 के पिता द्वारा दिनांक 22.06.2011 को आराजी संख्या 3094/1801 क्षेत्रफल 0.0300 हेक्टेयर का अपीलान्ट मेवादेवी के पक्ष मे एवं दिनांक 25.06.2014 को आराजी संख्या 1800 क्षेत्रफल 0.0300 हेक्टेयर का अपीलान्ट श्रीमती आशा देवी पत्नी मोहनलाल मीणा को पंजीकृत विक्रय विलेख निष्पादित कर कब्जा सुपुर्द कर विक्रय करना, अपीलान्टस मेवा देवी एवं आशा देवी द्वारा कथित आराजीयात का क्रमशः दिनांक 15.03.2012 एवं 24.07.2014 को तहसीलदार खेरवाड़ा से आवासीय संपरिवर्तन कराना, भूमि की किस्म आवासीय रेकर्ड मे दर्ज होना, ग्राम पंचायत बंजारिया से विधिवत निर्माण की स्वीकृति अपीलान्टस द्वारा क्रमशः दिनांक 05.10.2012 एवं 22.03.2016 को प्राप्त करना, विवादित भाग पर अपीलान्ट्स का मकान निर्मित होना, तहसीलदार खेरवाड़ा द्वारा उपखण्ड अधिकारी खेरवाड़ा के निर्णय एवं डिक्री का निर्वचन सही न करना, त्रुटिपूर्ण नामान्तरकरण संख्या 1532 दिनांक 11.06.2020 पारित होना, अपीलान्टस श्रीमती मेवा देवी एवं आशा देवी द्वारा कराये गये आवासीय संपरिवर्तन का क्रमशः विधिवत नामान्तरकरण संख्या 911 दिनांक 28.03.2012 एवं 1112 दिनांक 14.08.2014 किया जाना अवगत कराया एवं निवेदन

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2021.10.05 11:45:33 IST
Reason: SelfAttested

किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 एवं 5 के खाते मे राजीनामे के आधार पर जो भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 5 को मिलनी चाहिए थी वह उसे मिल गई एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 5 द्वारा जो आराजी राजनामे के आधार पर छोड़ी गई वह आराजीयात रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 को मिली, लेकिन राजीनामे की यह शर्त भी थी कि जो आराजीयात स्टे के दौरान वादी द्वारा बेची गई उस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 क्लेम नही कर रहे है, वह आराजी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 की नही है लेकिन इस राजीनामे के विपरीत जाकर अन्य अराजीयात के साथ अराजी संख्या 3094/1801 एवं 1800 भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 के नाम संहवन से अंकित कर दी गई, जो विधि विरूद्ध है। इसके अतिरिक्त कथित आराजीयात रूपान्तरित हो जाने से उसका नामान्तरकरण खारिज करना तहसीलदार की अधिकारिता से परे है। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेरवाड़ा द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 1532 दिनांक 11.06.2020 को निरस्त किया जावे। अपीलान्टस अधिवक्ता ने अपने समर्थन मे निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये–

- ए.आई.आर. 1970 (राज.) पृष्ठ 104
- ए.आई.आर. 1987 (केरल) पृष्ठ 42
- ए.आई.आर. 1918 (लाहौर) पृष्ठ 318
- ए.आई.आर. 1967 (एस.सी) पृष्ठ 591
- आर.आर.ड़ी. 1981 पृष्ठ 206
- आर.आर.टी. 2002(1) पृष्ठ 269
- आर.आर.टी. 2011(1) पृष्ठ 262

विपक्षी संख्या 1 से 4 के विद्वान अभिभाषक ने बहस मे भाग लेते हुए अनुरोध किया कि अपीलान्टस द्वारा मिथ्या तथ्यों के आधार पर उक्त अपील प्रस्तुत की गई हैं। न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी खेरवाड़ा द्वारा प्रकरण संख्या 89/1999 मे पारित निर्णय दिनांक 23.03.2020 द्वारा जारी डिक्री की अनुपालना मे तहसीलदार खेरवाड़ा द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1532 दिनांक 11.06.2020 खोला गया हैं। उपखण्ड़ अधिकारी खेरवाडा द्वारा पारित निर्णय के अंतिम पेरा मे कथित आराजीयात को अपीलान्टस मेवा देवी एवं आशा देवी के नाम रखे जाने का उपखण्ड़ अधिकारी खेरवाड़ा द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया गया हैं। तहसीलदार खेरवाडा द्वारा मात्र न्यायिक आदेश की पालना की गई है एवं तहसीलदार स्वयं इस हेतु बाध्य हैं। उपखण्ड़ अधिकारी द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध कोई अपील अपीलान्टस द्वारा प्रस्तुत किया जाना प्रकरण मे जाहिर नही आया हैं। दावे/स्टे के दौरान भूमि का जानबुझकर क्रय–विक्रय किया जाना, [illegible] करना, निर्माण करना अवैधानिक गतिविधि की परिभाषा मे आता है। अपीलान्टस द्वारा अपील का मूल आधार राजीनामे को बताया जा रहा है, किन्तु ऐसा कोई राजीनामा रेकार्ड पर नहीं हैं। अपीलान्टस प्रभावित

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2021.10.05 11:45:33 IST
Reason: SelfAttested

पक्षकार न होने से उसे अपील पेश करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं हैं। अतः अपील अपीलान्ट्स सव्यय खारिज की जावें। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 के अधिवक्ता द्वारा अपने समर्थन मे निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये–

- आर.आर.टी 2012(2) पृष्ठ 1250
- आर.आर.टी. 2005(2) पृष्ठ 774
- ए.आई.आर. 2007(राज.) पृष्ठ 73
- आर.आर.टी. 2011(2) पृष्ठ 907
- आर.बी.जे. 2013 पृष्ठ 569
- आर.आर.टी. 2010(2) पृष्ठ 1409
- ए.आई.आर. 1970 (राज.) पृष्ठ 104
- ए.आई.आर. 1987 (केरल) पृष्ठ 42
- ए.आई.आर. 1918 (लाहौर) पृष्ठ 318
- ए.आई.आर. 1967 (एस.सी) पृष्ठ 591
- आर.आर.ड़ी. 1981 पृष्ठ 206
- आर.आर.टी. 2002(1) पृष्ठ 269
- आर.आर.टी. 2011(1) पृष्ठ 262

राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान कथित नामान्तरकरण संख्या 1532 दिनांक 11.06.2020 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेरवाड़ा के प्रकरण संख्या 89/1999 मे पारित निर्णय दिनांक 23.03.2020 के क्रम मे जारी डिक्री की अनुपालना मे नियमानुसार खोला जाना अवगत कराया।

हमनें अपीलान्ट्स अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 के अधिवक्ता एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों आदि का अवलोकन किया एवं वर्णित तथ्यों पर गम्भीरता से मनन किया, जिससे यह स्पष्ट है कि प्रकरण मे विवाद तहसीलदार खेरवाड़ा द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 1532 दिनांक 11.06.2020 का हैं, जिससे असन्तुष्ट हाकर अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील पेश की है। कथित नामान्तरकरण उपखण्ड़ अधिकारी खेरवाड़ा द्वारा प्रकरण संख्या 89/1999 मे पारित निर्णय दिनांक 23.03.2020 के क्रम में जारी डिक्री की अनुपालना मे तहसीलदार, खेरवाड़ा द्वारा पारित किया गया हैं। अपीलान्ट्स द्वारा अपील का मुख्य आधार उपखण्ड़ अधिकारी खेरवाड़ा के निर्णय के पेरा मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 के [illegible] के कथन को बताया जा रहा है, किन्तु यह तथ्य भी स्पष्ट है कि प्रकरण संख्या 89/1999 मे पारित निर्णय के अन्तिम पेरा मे उक्त तथ्य का कहीं भी उल्लेख उपखण्ड़ अधिकारी द्वारा नहीं किया गया है एवं यदि

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2021.10.05 11:45:33 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय सुनवाई के अनुरूप नहीं हुआ है तो अपीलान्ट्स को उक्त निर्णय के विरूद्ध सक्षम न्यायालय मे चाराजोही करनी चाहिये थी। अपीलान्ट्स द्वारा उक्त निर्णय को सक्षम न्यायालय मे चुनौती दी हो, ऐसा कोई तथ्य पत्रावली पर मौजुद नहीं हैं। उपखण्ड़ अधिकारी खेरवाड़ा के मूल निर्णय को चुनौती दिये बिना नामान्तरकरण की अपील प्रस्तुत करना न्यायोचित नहीं हैं। न्यायालय के आदेश की पालना मे तहसीलदार खेरवाड़ा द्वारा राजस्व अभिलेख मे इन्द्राज किये गये है। इन्द्राज दर्ज करने वाले का अधिकारी को यह अधिकार नहीं है कि वह न्यायालय द्वारा पारित आदेश की कार्यवाही को गुणावगुण पर देख। उसका कर्तव्य केवल आदेश की पालना करना था। कथित नामान्तरकरण मे कोइ विधिक अथवा क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि परिलक्षित नहीं होती हैं एवं पार्थीगण के इस तर्क मे कोई बल नहीं है कि नामान्तरकरण की कार्यवाही करने से पूर्व उन्हे नहीं सुना गया। सम्पति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 52 के अनुरूप भी वादग्रस्त भूमि का क्रय विक्रय अवैध है। अतएव कथित नामान्तरकरण विधिनुकुल पाये जाने से उक्त नामान्तकरण मे काई हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समंझते हैं। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त प्रकरण मे चस्पा होते हैं।

अतः अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 अस्वीकार कर खारिज की जाती है एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 1532 दिनांक 11.06.2020 यथावत रखा जाता हैं।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम किया जावे।

(ओ.पी. बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2021.10.05 11:45:33 IST
Reason: SelfAttested